कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- सर्वश्री मूलक चन्द ऑयल्स लि0,शाहपुर ,अलीगढ़ आगरा रोड,अलीगढ़।

प्रा0प0सं0- 140 / 2008

प्रार्थी की ओर से-श्री किशोर कुमार ,अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम-1948 की धारा-35 के अर्न्तगत निर्णय

1- सर्वश्री मूलक चन्द ऑयल्स लि0,शाहपुर ,अलीगढ़ आगरा रोड,अलीगढ़ द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम -1948 की धारा -35 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08-3-2008 को प्रस्तुत किया गया है जिसमें निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु उल्लिखित हैः-

(क) दिनांक 1-4-2002 से 31-3-2003 तक समाधान योजना अपनाने वाले रिफाइन्ड तेल निर्माताओं के लिये कच्चा माल, पैकिग मैटेरियल पर कर देयता क्या होगी ?

2- एडीशनल कमिश्नर (ग्रेड-1)वाणिज्य कर, अलीगढ जोन अलीगढ से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 02-03 में विवादित बिन्दुओं पर धारा 3-बी के अन्तर्गत एकपक्षीय रुप से व्यापारी पर करदेयता निर्धारित की गयी है। व्यापारी के धारा-30 के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र पर दिनांक 18-3-08 को वाद खोल कर पुनः सुनवाई हेतु नियत किया गया । अतः सम्बन्धित प्रकरण उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम की धारा-35 की उपधारा -1 व 4 के अन्तर्गत ग्राहय नहीं है।

3- धारा-35 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री किशोर कुमार , फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुये।

4- मैनें व्यापारी के धारा-35 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यो तथा एडीशनल कमिश्नर (ग्रेड-1) से प्राप्त आख्या व अभिलेखों का अवलोकन किया । एडीशनल कमिश्नर (ग्रेड-1) से प्राप्त आख्या के अनुसार व्यापारी के विरुद्ध 02-03 में विवादित बिन्दु पर धारा 3-बी के अन्तर्गत दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 18-3-08 को वाद खोलते हुये पुनः सुनवाई हेतु नियत है । इस प्रकार सम्बन्धित प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष लम्बित है । अतः उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम -1948 की धारा-35 की उपधारा -1 व 4 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा दिया गया उक्त प्रार्थना पत्र ग्राहय नहीं है।

5- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-35 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर तद्नुसार दिया जाता है।

6- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी ो आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 3, जून,2008

ह0 3.6.08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर ,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।